अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर.ए.एस)

डालूराम बनाम बीरमा वगैरह

दावा अन्तर्गत धारा 188, 53 रा.का.अधि.

मुकदमा नं. 84 / 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर.ए.एस.) व कन्हैयालाल मेवाडा व पैरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दई रूबरू..... मिनजामिन मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का दावा स्वीकार किया जाता हैं तथा वादी को विवादित आराजी जो पुस्त पृष्ठ पर अंकित अंकित हैं इसमें सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं और तहसीलदार भिनाय को आदेश दिये जाते है कि पुस्त पृष्ठ पर विवादित आराजी के विभाजनानुसार पक्षकारान के नाम नामान्तकरण दर्ज करवा कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें।

निजी.....x.....मबलिक..... x .....बाबत्..... x .....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलीयत तक..... x ..... को अदा करें।

वसूलियाव तक ..... x .....को अदा करें।

बसखत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 11.05.2018 को अंतिम डिक्री की जाती हैं।

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	—	—	स्टाम्प अर्जी दावा	—	—
स्टाम्प वकालत नामा	—	—	स्टाम्प वकालत नामा	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महन्ताना वकील	—	—
महन्ताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमी नर	—	—
फीस कमी नर	—	—	बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	—			
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—
मिजान			मिजान		

नोटः— इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

अध्यक्ष
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.03.04 11:06:16 IST
Reason: SelfAttested